ायालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

र्थना–पत्र संख्या :–160 / 2023 — दायर दिनांक– 03.07.2023

GCMS NO:- 2023/264 — पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. बहादूर आ0 अलाद्दीन जाति मुसलमान तेली नि0 ग्राम रैठोदा तहसील नैनवॉ।
2. मिठ्ठू आ0 अलाद्दीन जाति मुसलमान तेली नि0 ग्राम रैठोदा तहसील नैनवॉ।

प्रार्थीगण

बनाम

भूस्वामी जर्ये तहसीलदार साहब नैनवॉ जिला बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 111 एल आर एक्ट

उपस्थितिः–

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री शांतिलाल मीना।

निर्णय दिनांक 17.06.2025

–:निर्णयः–

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम रैठोदा तहसील नैनवॉ मे खसरा नम्बर 31, 32 कुल किता 2 कुल रकबा 1.1083 हैक्टयर भूमि स्थित है जिसके प्रार्थीगण खातेदार आसामी है और इसी हैसियत से काबिज है जिसमे प्रार्थीगण का बराबर 1/2 हिस्सा निहित है।

यह कि प्रार्थीगण अपनी भूमि पर डोल लगाकर मेडगबंदी कर पत्थरगढी करवाना चाहते है ताकि जानवरों व अन्य नुकसान से व आस पडोस वाले भी भूमि पर कब्जा नही करे। प्रार्थीगण सगे भाई है जो उक्त भूमि पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है। उक्त भूमि का कईं मर्तबा सीमांकन करवाया है लेकिन पत्थरगढी नही होने से मौके पर विवाद हो जाता है। दिनांक 16.6.2023 को खसरा नम्बर 31 व 32 का सीमांकन करवा चुके है फिर भी पत्थरगढी नही हुई और श्रीमान तहसीलदार साहब ने कहा कि पत्थरगढी करवाना है तो श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, नैनवॉ के यहां से आदेश करवाओ इसलिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र, नकल जमाबन्दी, नक्शा, पूर्व मे हुए सीमाज्ञान की प्रति पेश कर धारा 111 एलआर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। बहस सूनी गयी। प्रार्थीगण विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण ग्राम रैठोदा मे स्थित अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 31, 32 कुल किता 2 कुल रकबा 1.1083 हैक्टयर भूमि पर पत्थरगढी करवाना चाहते है तथा श्रीमान तहसीलदार साहब की भी मय अभिशंषा रिपोर्ट प्राप्त हुई है। हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा पाया कि प्रार्थना पत्र को चलते लगभग 02 वर्ष का समय हो चुका है जबकि यह एक समरी ट्रायल प्रार्थना पत्र है तथा तहसीलदार नैनवॉ की रिपोर्ट भी मय अभिशंषा के साथ प्राप्त हुई है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को इस आशय के साथ आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम रैठोदा तहसील नैनवॉ मे खसरा नम्बर 31, 32 कुल किता 2 कुल रकबा 1.1083 हैक्टयर भूमि पर प्रार्थीगण का यदि संपूर्ण हिस्से पर कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर 500/– रूपये अक्षरे पांच सौ रूपये शुल्क राजकोष में जमा कराने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवॉ